कार्यालय, अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी।

(कल्याण शाखा)

पत्रांकः– 49 दिनांकः 10/9/26

प्रेषक,

अनुमंडल पदाधिकारी,
पटना सिटी।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जन संपर्क विभाग,
बिहार, पटना।

विषयः–**दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशन के सम्बन्ध में।**

महाशय,

उपर्युक्त **विषयक विकास मित्र के नियोजन से सम्बंधित विज्ञापन प्रारूप तैयार कर भेजा जा रहा है।**

अतः अनुरोध है की इसे स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नकः–यथोक्त।

विश्वासभाजन

10/9/26
अनुमंडल पदाधिकारी
पटना सिटी।

कार्यालय, अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी।

(कल्याण शाखा)

आम सूचना

पटना सिटी अनुमंडल क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न पंचायतों एवं क्षेत्रों में विकास मित्र के रिक्त पदों पर अनुबंध के आधार पर नियोजन हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते है। आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में कार्य दिवस को ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्र से संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किया जा सकता है।

क्र0 सं0	गतिविधि	अवधि
1	**समाचार पत्रों में प्रकाशन की तिथि**	12.09.26
2	प्रखंड/नगर निकाय में आवेदन प्राप्त करना	16.09.26 से 22.09.26
3	**मेधा** सूची **तैयार करना एवं प्रकाशन करना**	23.09.26
4	चयन सूची तैयार करना एवं अनुमोदन	24.09.26
5	चयन सूची **का अंतिम प्रकाशन, आपत्ति प्राप्त करना,आपत्ति का निराकरण करके नियोजन सूची का प्रकाशन**	26.09.26 से 30.09.26
6	नियोजन पत्र वितरण/शपथ **ग्रहण** उन्मुखीकरण	01.10.26

रिक्तियों की विवरणीः–

क्र.	प्रखंड/शहरी निकाय	पंचायत/वार्ड का नाम	रिक्तियों की संख्या	जति बहुलता	**कोटि** आरक्षण
1	**नगर परिषद**,फतुहाँ	**वार्ड संख्या-** 4,5,8,9	01	**पासी**	**सामान्य**

चयन हेतु अहर्त्ताः–

1. आवेदन की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष होगी। मैट्रिक में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन **मेधा** सूची के अनुरूप किया जायेगा तथा समान मेधा अंक रहने पर ज्यादा उम्र रहने वाले अभ्यार्थी को प्राथमिकता दी जायेगी। चयन में मैट्रिक या समकक्ष से उच्चतर योग्यता वाले अभ्यार्थियों के लिए अतिरिक्त लाभ नहीं दिया जायेगा। मैट्रिक पास अभ्यार्थी नहीं मिलने पर ननमैट्रिक, नौवीं पास, आठवीं पास, सातवीं पास, छठी पास एवं पांचवी पास का नियोजन किया जा सकेगा।

2. महिलाओं के लिए शैक्षणिक योग्यता नहीं मिलने पर साक्षर रहने पर भी चयन किया जा सकेगा। **बशर्ते** वे अक्षर अंचल योजना एवं स्वयं सहायता समुह के साथ जुड़ी हों तथा वे सामाजिक कार्य में प्रगतिशील सक्रिय महिला हों ।

3. महादलित आवेदक की उम्र दिनांक–01.01.2026 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 60 वर्ष होगी।

4. आवेदक महादलित परिवार से होगा। पंचायत/ वार्ड समूह (कलस्टर) (शहरी) में जिस महादलित जाति की बहुलता होगी उसी जाति के अभ्यार्थी का चयन किया जायेगा।

5. जिस पंचायत / वार्ड समूह (कलस्टर) (शहरी) से विकास मित्र का चयन किया जाना है, वहीं के निवासी से आवेदन प्राप्त किया जायेगा एवं चयन किया जायेगा।

चयन की प्रक्रियाः–

1. आवेदन विहित प्रपत्र में होना चाहिए। विहित प्रपत्र संबंधित प्रखंड कार्यालय / नगर परिषद् / नगर पंचायत कार्यालय, संबंधित नगर निगम तथा अनुमंडल कल्याण कार्यालय से प्राप्त किया जा सकेगा।
2. आवेदन पत्र जमा करने का स्थान रिक्ति वाले प्रखंड अथवा पटना नगर निगम अंचल क्षेत्र के संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी का कार्यालय / शहरी क्षेत्र के लिए संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी नगर निगम का कार्यालय होगा।
3. निर्धारित अवधि के अंतिम तिथि दिनांक–22,09,26 तक कार्यालय अवधि (05:00 अपराह्ण तक) में प्राप्त होने वाले आवेदनों को ही स्वीकार किया जायेगा। उक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त आवेदन अमान्य होगा।
4. वैसी स्थिति जब एक ही शैक्षणिक योग्यता के दो या उससे अधिक आवेदन प्राप्त होगी वैसी स्थिति में जिस आवेदक का उम्र सबसे कम हो (जन्मतिथि के अनुसार) चयन किया जायेगा।

आवेदन के साथ आवश्यक अनुलग्नकः–

1.(क). मैट्रिक का अंक एवं प्रमाण पत्र की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति। ननमैट्रिक के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति / समकक्ष से निर्गत प्रवेश पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति। आठवीं से पांचवीं पास तक के अभ्यर्थियों से विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति।

(ख) जाति प्रमाण पत्र।

(ग) निवास प्रमाण पत्र।

2. प्रत्येक पंचायत एवं कलस्टर में महादलित जाति की बहुलता पहले से निर्धारित है।
3. अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा विकास मित्रों का चयन किया जायेगा।

विश्वासभाजन

7/9/26

अनुमंडल पदाधिकारी

पटना सिटी।

07/09/26